



प्रकरण क्र. /2017 निगरानी

(23)

क. श्रीकांतव, म.प्र.
24-6-17 को

वर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

शिवरतन पुत्र श्री हीरालाल अनुरागी
निवासी ग्राम उदयपुर, तहसील गौरिहार,
जिला छतरपुर (म0प्र0)

- आवेदक

विरुद्ध

बृजेश प्रजापति पुत्र श्री आर.डी.प्रजापति,
निवासी-पेप्टेक टाउन, नोगाँव रोड, छतरपुर
(म0प्र0)

- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरुद्ध
आदेश दिनांक 20.06.2017 द्वारा पारित न्यायालय श्रीमान्
तहसीलदार, तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर म.प्र.
प्रकरण क्रमांक 97/बी-121/ 2016-2017 मे पारित।

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित है:-

1. यह कि, प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने दिनांक 23.02.2017 को एक आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर म.प्र. के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया और बताया कि खसरा क्रमांक 29 ग्राम मढा, तहसील लवकुश नगर जिला छतरपुर जो कि शासकीय भूमि है परंतु वर्तमान में आवेदक ने अपना इन्द्राज करा लिया और उस आधार पर अपना पेट्रोल पंप एच.पी.सी.एल. का स्वीकृत करा लिया है। उस पर से प्रकरण तहसीलदार तहसील लवकुश नगर

3

